

Worksheet - 13

Subject: - Hindi

कक्षा - आठ

Teacher: - Mrs. Meera

Name: _____ Class & Sec: _____ Roll No. _____ Date: 15.05.2020

1

भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण

Language, Dialect, Script and Grammar

भाषा Language

व्यक्ति समाज में रहता है और समाज अनेक लोगों का समूह कहलाता है। बिना एक-दूसरे की मदद और सहयोग के जीवन कठिन हो जाता है। अपने समाज में रहते हुए मन के भावों और बात आदि को एक-दूसरे से कहने और समझने-समझाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है, उसे भाषा कहा जाता है।

सृष्टि के आरंभ में जब भाषा नहीं थी, तब आदिमानव ने एक-दूसरे तक अपने विचार प्रेषित करने के लिए कुछ ध्वनि संकेत बना लिए थे—अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग ध्वनि संकेत। मानव के विकास के साथ-साथ ये ध्वनि संकेत भी विकसित रूप लेते गए। आगे चलकर इन्हीं से भाषा बनी।



भाषा के मूल में ध्वनि (sound) होती है। इसका उच्चारण नाक और मुख के माध्यम से (pronunciation) किया जाता है। ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं और इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जब इन ध्वनियों को आपस में एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ दिया जाता है तब इनसे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है और ये शब्द का रूप ले लेते हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल से अर्थयुक्त वाक्य बनते हैं, जिनका उच्चारण मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति (expression) के लिए करता है।

जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है उसे भाषा कहा जाता है।

भाषा प्रयोग के प्रकार— भाषा मुख्यतः दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है—



बोलकर



लिखकर

1. **बोलकर (मौखिक रूप)**— जब हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। यही भाषा का मौखिक प्रयोग है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 98 प्रतिशत भाषा का प्रयोग बोलकर ही करता है और जो साक्षर नहीं हैं, वहाँ यह संख्या शत-प्रतिशत (hundred percent) हो जाती है। भाषण देना फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा है।

बोलकर और सुनकर विचारों के आदान-प्रदान को **मौखिक भाषा** कहते हैं।

2. **लिखकर (लिखित रूप)**— भाषा के लिखित रूप का अर्थ है कि जब श्रोता (listener) सामने न हो और अपनी बात को उस तक पहुँचानी हो तो व्यक्ति लिखकर अपने भाव-विचार दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। पत्र, निबंध, लेख, प्रतिवेदन, संवाद लेखन, सार लेखन आदि इसी कोटि (category) में आते हैं। आजकल भाषा लिखने के साथ-साथ कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर डॉक्टरियों के माध्यम से टंकित (type) की जा रही है।



लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान-प्रदान को **लिखित भाषा** कहते हैं।

कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी देखने में आया है कि मानव मौखिक और लिखित दोनों भाषा रूपों का प्रयोग नहीं करता अपितु हथ-मुँह और नेत्रों आदि के माध्यम से भी वह अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है; जैसे— अँगूठे को ऊपर करना मतलब जीत हासिल करने का भाव, जीभ दिखाना = चिढ़ाना, नाक-मुँह सिकोड़ना = पसंद न आना आदि। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से मन के भाव व्यक्त होते हैं, जो बहुत संक्षेपीकरण (short) लिए होते हैं। सामनेवाला भी इन्हें देखकर सहज ही समझ लेता है और एक शब्द-चित्र ग्रहण कर लेता है। व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता।





यह भी जानो

'हिंदी' शब्द के विभिन्न रूप

क. व्युत्पत्तिपरक (Origin or Etymological Meaning) : अन्य शब्दों के समान 'हिंदी' शब्द भी अनेकार्थवाची है। 'हिंदी' शब्द फ़ारसी भाषा का है। संस्कृत, प्राकृत अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। फ़ारसी में 'हिंदी' का अर्थ 'हिंद से संबंध रखनेवाला' है किंतु इसका प्रयोग 'हिंद की वस्तु', 'हिंद के रहनेवाले' अथवा 'हिंद की भाषा' के अर्थ में भी होता रहा है।

ख. भाषापरक अर्थ (Linguistic Meaning) : अर्थ की दृष्टि से 'हिंदी' शब्द का प्रयोग हिंद या भारत में बोली जानेवाली किसी भी आर्य, द्रविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, किंतु व्यवहार में हिंदी उस बड़े भूभाग (Geographical Area) की भाषा मानी जाती है, जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश के दक्षिणी भाग, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है। इस अर्थ में बिहारी (भोजपुरी, मगही, मैथिली), राजस्थानी (मारवाड़ी, मेवाड़ी आदि), पूर्वी हिंदी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी) पहाड़ी और प्राचीन डिंगल आदि सभी को हिंदी के ही अंतर्गत माना जाता है।

भाषा के विविध रूप

आजकल भारत तथा विदेशों में 'हिंदी' से जिस भाषा का बोध होता है, उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं जिन्हें सुविधा के लिए हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं—

क. व्यावहारिक अथवा संपर्क भाषा (Applied or Link Language) : भारत के जनसाधारण अर्थात् विभिन्न भाषा-भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है क्योंकि इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी कार्यालयों आदि में होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र-व्यवहार आदि में अधिक काम आती है। जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक-प्रचलित शब्दों का समावेश हो जाता है। यह देश के प्रत्येक कोने में समझी और बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न ही इसका क्षेत्र छोटा होता है क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है।

ख. मानक हिंदी भाषा (Standard Language) : भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ लगभग 300 सक्रिय भाषाएँ (active languages), उपभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। कहा जाता है—
चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी।

यही कारण है कि क्षेत्रीय, स्थानीय, राजकीय, प्रांतीय प्रभाव बोली और भाषा के लिखित रूप पर भी पड़ता है। नवीन प्रयोगों, भाषा के निरंतर प्रसार, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण के कारण लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। अंग्रेजी में इसे 'स्टैंडर्ड' हिंदी कहा जा सकता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय' ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अनेक

संस्तुतियाँ (recommendation) दी हैं; जैसे— हड्डियाँ-हड्डियाँ, चिह-चिहन, दीजिये-दीजिए, रव को ख, छः को छह आदि। इससे हिंदी भाषा एवं लिपि को मानकीकृत करने में बहुत मदद मिली। आज देशभर में भाषा का यही रूप प्रचलित हो रहा है।



ग. मातृभाषा (Mother Tongue) : मातृ अर्थात् 'माँ' भाषा अर्थात् 'बोली गई'। पूर्ण अर्थ हुआ 'माँ के द्वारा बोली गई'। माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा ही मातृभाषा है; जैसे—बांगलाभाषी परिवार की मातृभाषा बांगला और तमिलभाषी परिवार की मातृभाषा तमिल होती है। बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रीति-रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों और जीवन-मूल्यों को सीखता है।

घ. राजभाषा (Official Language) : राजभाषा अर्थात् शासन की भाषा। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होनेवाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान में 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दरजा दिया गया था। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती वहाँ हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है।



इ. राष्ट्रभाषा (National Language) : राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हों अर्थात् एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 'हिंदी' का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक है। निससंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए।

4 / 10

संविधान द्वारा मानित भाषाएँ—असमिया, बांगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उडिया/ओडिआ, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। संविधान की आठवीं अनुसूची में उपरोक्त 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है।

बोली Dialect

भाषा का क्षेत्रीय रूप 'बोली' कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। एक क्षेत्र के बहुत-से लोगों की भाषा को 'स्थानीय बोली' कहा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उसे 'उपबोली' (Sub-dialect) कहते हैं।

एक से अधिक बोलियों को मिलाकर 'उपभाषा' (Sub-dialect) बनती है। इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता है— एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ होती हैं; जैसे— हिंदी क्षेत्र में खड़ीबोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियाँ हैं और एक बोली में कई उपबोलियाँ होती हैं; जैसे— बुंदेली बोली के अंतर्गत लोधानी, राठौर, पैंवारी आदि अनेक उपबोलियाँ हैं। अब यदि बुंदेली बोली को अधिकतर लोग प्रयोग में लाने लगते हैं और उसमें साहित्य की रचना की जाती है तो उसे उपभाषा कह दिया जाएगा अर्थात् जब बोली या उपबोली के किसी रूप में साहित्य का सृजन किया जाने लगता है तो वह उपभाषा कहलाने लगती है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और जब वह उपभाषा एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे 'भाषा' कह दिया जाता है। मूल रूप में यों समझा जाए—

जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं; जैसे—मारवाड़ी, मगही, गढ़वाली आदि।



यह भी जानो

क. हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएँ हैं और उपभाषाओं की अलग-अलग बोलियाँ। नीचे दी गई तालिका देखें—

उपभाषाएँ	बोलियाँ
पश्चिमी हिंदी	हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली
पहाड़ी हिंदी	कुमाऊँनी, गढ़वाली, मंडियाली
राजस्थानी	जयपुरी, मालवी, मेवाती, हाड़ोती
पूर्वी हिंदी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
बिहारी हिंदी	भोजपुरी, मैथिली, मगही

ख. भाषा और बोली में अंतर : भाषा और बोली में बहुत सूक्ष्म (micro) अंतर होता है और वह अंतर तत्त्विक (theoretical) न होकर व्यावहारिक (practical) है। मुख्य अंतर इस प्रकार हैं—

1. बोलियाँ किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं।
2. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, किंतु बोली का क्षेत्र सीमित।
3. साहित्य रचना में 'भाषा' का प्रयोग किया जाता है जबकि बोलचाल में बोली का।
4. भाषा व्याकरण सम्पत होती है, बोली का व्याकरण नहीं होता। (अपवाद (exceptions) हो सकते हैं)
5. 'बोली' बोलनेवाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं।

लिपि Script

भाषा का महत्त्व ध्वनि पर आधारित है। अपने सामने बैठे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो मौखिक ध्वनियों की मदद लेते हैं लेकिन जब दूर बैठे व्यक्ति को हम अपने मनोभावों से परिचित कराना चाहते हैं तो उन्हीं मौखिक ध्वनियों को कुछ निश्चित चिह्नों द्वारा नियमों में बाँधकर लेखनीबद्ध कर दिया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं।

मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिह्नों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं।

व्याकरण Grammar

व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है— शब्दों का विश्लेषण (Analysis of Words)। एक और व्युत्पत्ति के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है— जिसमें शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन हो। कुछ भी कहा जाए, व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है।

व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

क. व्याकरण का प्रयोजन :

1. हिंदीभाषी घर में जन्म लेने के बाद बच्चा स्वयं ही हिंदी भाषा सीख जाता है। वह स्वयं ही क्रियाओं का प्रयोग करने लगता है; जैसे— ‘अम्मी, मम-मम पीँड़ी’ तोतली भाषा का प्रयोग करता है। वह नहीं जानता कि ‘अम्मी’ संबोधन कारक है या ‘पीँड़ी’ क्रिया है। बिना व्याकरण जाने ही वह बोलता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रतम सीखी जा सकती है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे वह भाषा के स्वरूप को अधिक स्पष्टतः समझना चाहता है, उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तब व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है।
2. अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए तथा शुद्ध शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के लिए भी व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है।
3. अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण (preservation of culture) के साथ भी व्याकरण को जोड़ा जा सकता है। अपने विचारों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित (transfer) करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।

ख. व्याकरण के मुख्य अंग : किसी भी भाषा में ‘वर्ण’ सबसे छोटी इकाई होते हैं। किसी भी भाषा को प्रारंभ करनेवाले बिंदुओं को वर्ण कहा जाता है; जैसे— क्, ख्, ग् आदि। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. **वर्ण-विचार (Phonology)** — इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि का अध्ययन किया जाता है।
2. **शब्द-विचार (Morphology)** — इसमें शब्द स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि का अध्ययन किया जाता है।
3. **वाक्य-विचार (Syntax)** — इसमें शब्दों द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग-प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम-चिह्न आदि का अध्ययन किया जाता है।

अभ्यास ३

व्याकरण की पुस्तक व अध्यापक की मदद से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए— (*Remembering, Understanding*)

1. किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए जिनकी भाषा हिंदी है—
 क. ख.
2. गुरुमुखी और रोमन लिपियों में लिखी जानेवाली एक-एक भाषा का नाम लिखिए—
 क. ख.
3. वैदिक भाषा से हिंदी तक की यात्रा में मुख्य पड़ाव कौन-कौन-से हैं?

4. राजस्थानी हिंदी की दो बोलियों के नाम लिखिए—
 क. ख.
5. दक्षिण भारत में प्रयुक्त होनेवाली किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए—
 क. ख.
6. व्याकरण का भाषा के साथ क्या संबंध है? *(M.I.)*

7. पश्चिमी हिंदी की किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए—
 क. ख.
8. देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ?

9. तुलसीदास द्वारा रचित विख्यात महाकाव्य का नाम बताते हुए उसकी भाषा भी लिखिए—

10. भारतीय आर्य परिवार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम लिखिए—
